चित्रकूट-पुलिस

(1).

“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित “मिशन शक्ति अभियान-5”

“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve

Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 11 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

(i). उ0नि0 श्री योगेन्द्र बहादुर, उ0नि0 श्री श्याम देव सिंह मय हमराह मुख्य आरक्षी रतिभान कुशवाहा थाना पहाड़ी द्वारा मु0अ0स0 30/17 धारा 149,420,467,468471,272,273 भादवि व 60(2),63 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त रोहिणी तिवारी उर्फ दादू पुत्र दरबारी निवासी कलवारा बुजुर्ग थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ii).उ0नि0 श्री राजेश चौरसिया मय हमराह आरक्षी जीतेन्द्र मौर्या,आरक्षी राघवेन्द्र राजपूत थाना बहिलपुरवा द्वारा मु0अ0सं0 45/20 धारा 18/20 एनडीपीसएस एक्ट के वारण्टी अभियुक्त लाला पटेल पुत्र देशराज निवासी गदाखान मजरा चन्द्रमारा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iii).उ0नि0 श्री सुरेन्द्र सिंह मय आरक्षी मातादीन थाना बहिलपुरवा द्वारा वाद संख्या 4156/22 धारा 363 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त छोटे मवासी पुत्र भेला उर्फ लेदरा निवासी ग्राम चुनकावन का डेरा मजरा कर्का पडरिया थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iv).उ0नि0 श्री मुन्नीलाल मय हमराह आरक्षी शुभम त्रिपाठी, आरक्षी प्रकाश मिश्रा थाना मऊ द्वारा मु0नं0 669/16 धारा 323,504,506 भादवि के वारण्टी अभियुक्त रामबली पुत्र रामआसरे निवासी बम्बुरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(v) उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय मय हमराह आरक्षी मनीष यादव, थाना मऊ द्वारा मु0नं0 56/2018 अ0स0 150/17 धारा 323,504,506 भादवि के वारण्टी अभियुक्त रामदास पुत्र बुधई यादव निवासी बम्बुरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(vi) उ0नि0 श्री संतप्रसाद मय हमराह आरक्षी राहुल पाण्डेय, आरक्षी जयनारायण पटैरिया थाना कोतवाली कर्वी द्वारा मु0स0 3251/2015 अ0स0 207/15 धारा 147,447 भादवि के वारण्टी अभियुक्त पिन्टू यादव पुत्र कैलाश यादव निवासी मुलायम नगर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(vii) उ0नि0 श्री अंशुल कुमार मय हमराह आरक्षी संजीव सोनी थाना कोतवाली कर्वी द्वारा मु0न0 601765/09 धारा 380,411 भादवि के वारण्टी अभियुक्त मातादीन उर्फ छोटका पुत्र ताराचन्द्र निवासी लक्ष्मनपुरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(viii) उ0नि0 श्री बलवन्त यादव मय हमराह आरक्षी अखिलेश तोमर थाना भरतकूप द्वारा मु0न0 90/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त अनुरुद्ध प्रजापति पुत्र बद्रीप्रसाद निवासी बरई पहरा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ix) उ0नि0 श्री दिनेश कुमार पाण्डेय मय हमराह शिवम कुमार मिश्रा थाना रैपुरा द्वारा अ0स0 36/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त रमेश कुमार उर्फ मुन्ना प्रजापति पुत्र रामलखन निवासी कुम्हारन का डेरा मजरा घुनुवा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(x) उ0नि0 श्री अखिलेश सिंह यादव मय हमराह आरक्षी पवन यादव थाना रैपुरा द्वारा मु0न0 81/2020 धारा 147,323,504 आईपीसी के वारण्टी अभियुक्त 1.बबुलिया उर्फ अश्वनी पाण्डेय पुत्र दिनेश 2.रमाकान्त उर्फ शिवम पाण्डेय पुत्र सत्यवान पाण्डेय निवासी चर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(3). आज दिनाँक 09.11.0025 को वाराणसी के राजकीय चिकित्सा अधिकारी डा. शिवशक्ति प्रसाद द्विवेदी ने पुलिस लाइन के कान्हा सभागार ,चित्रकूट में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह सहित समस्त पुलिस अधिकारियो एवं कर्मचारियों को दी सीपीआर पर लाइव प्रस्तुति जिसमें पुलिस अधीक्षक ने स्वयं दिया सीपीआर का डेमो।

पहला तीन मिनट गोल्डन टाइम-

➡ कार्डियक अरेस्ट होने पर (विशेष परिस्थिति में) पीड़ित के जीवन की रक्षा विषय पर राजकीय चिकित्सा अधिकारी डा. शिवशक्ति प्रसाद द्विवेदी ने कार्डियक अरेस्ट आने पर बरती जाने वाली सावधानियों और "सीपीआर " से अवगत कराया।

उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद कार्डियक अरेस्ट के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। आजकल व्यायाम और नृत्य करते समय भी लोगों को दिल का दौरा पड़ रहा है। ऐसी घटनाओं में देश के विभिन्न हिस्सों में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। ऐसे समय में सीपीआर देने की जानकारी अधिक से अधिक लोगों को होनी चाहिए। बताया कि कार्डियक अरेस्ट के मरीज के लिए पहला तीन मिनट गोल्डन टाइम होता है। अगर नौ मिनट तक मस्तिष्क को ऑक्सीजन नहीं मिले तो व्यक्ति ब्रेन डेथ का शिकार हो सकता है। इस समय मरीज को सीपीआर (कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन) दिया जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है।

डा. द्विवेदी ने बताया कि सीपीआर एक मेडिकल थेरेपी की तरह है। इससे कार्डियक अरेस्ट आने पर मरीज को सीपीआर देते हुए अस्पताल पहुंचाया जाता है। सीपीआर तब तक देते रहना चाहिए जब तक एंबुलेंस न आ जाए या मरीज अस्पताल या विशेषज्ञ चिकित्सक के पास नहीं पहुंच जाए। ऐसा करने से मरीज के बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि अगर व्यक्ति की सांस सा धड़कन रुक गई है तो ऑक्सीजन की कमी से शरीर की कोशिकाएं बहुत जल्द खत्म होने लगी है। इसका असर मस्तिष्क पर भी पड़ता है। सही समय पर सीपीआर और इलाज शुरू नहीं होने पर व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इस विधि से व्यक्ति की सांस वापस लाने तक या दिल की धड़कन सामान्य हो जाने तक छाती को विशेष तरीके से दबाया जाता है।

दी गई लाइव प्रस्तुति-

➡ प्रशिक्षण के दौरान डा. शिवशक्ति प्रसाद द्विवेदी ने मानव शरीर की डमी पर सीपीआर (कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन) देने की लाइव प्रस्तुति दी। उन्होंने दिखाया कि सीपीआर के लिए सबसे पहले पीड़ित को किसी ठोस जगह पर लिटा दिया जाता है और प्राथमिक उपचार देने वाला व्यक्ति उसके पास घुटनों के बल बैठ जाता है। उसकी नाक और गला चेक कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि उसे सांस लेने में कोई रुकावट तो नहीं है। इसके बाद अपने दोनों हाथों की मदद से विशेष तरीके से एक मिनट में 100 से 120 बार छाती के बीच में तेजी से दबाना होता है। हर एक पुश के बाद छाती को वापस अपनी सामान्य स्थिति में आने देना चाहिए। इससे शरीर में पहले से मौजूद रक्त को हृदय पंप करने लगता है। 30 बार पुश करने के बाद मुंह पर साफ रूमाल रखकर दो बार सांसें दी जाती हैं। इससे शरीर में रक्त का प्रवाह शुरू होता है और मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिलने लगती है।

क्या होता है सीपीआर-

➡ कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) एक आपातकालीन प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति की सांस या दिल के रुकने पर उसकी जान बचाने में मदद कर सकती है। जब किसी व्यक्ति का दिल धड़कना बंद कर देता है, तो उसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। कार्डिएक अरेस्ट के दौरान हृदय, मस्तिष्क और फेफड़ों सहित शरीर के बाकी हिस्सों में रक्त पंप नहीं कर सकता है। इस दौरान इलाज नहीं मिलने पर मिनटों में ही व्यक्ति की मौत हो सकती है।

क्या होता है हार्ट अटैक?

➡ दिल तक खून पहुंचना बंद होने की स्थिति को हार्ट अटैक कहा जाता है। दरअसल, कोलेस्ट्रॉल और फैट के कारण अक्सर दिल तक खून ले जाने वाली धमनी में खून का प्रवाह रुक जाता है और इसके कारण दिल तक खून नहीं पहुंच पाता है। धमनी ब्लॉक होने की वजह से ऑक्सीजन भी इस तक नहीं पहुंच पाती है। हालांकि ऐसी स्थिति में दिल की कार्यप्रणाली बरकरार रहती है यानी कि इंसान का दिल धड़कना बंद नहीं होता है।

क्या है कार्डियक अरेस्ट?

कार्डियक अरेस्ट उस स्थिति में होता है जब कार्डियक कार्यप्रणाली अचानक रुक जाती है यानी दिल धड़कना बंद कर देता है। इस दौरान फेफड़ों, दिमाग और अन्य महत्वपूर्ण अंगों तक खून पहुंचना रुक जाता है और प्रभावित व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है। कई बार हार्ट अटैक आने की वजह से भी अचानक कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ऐसी इमरजेंसी में मरीज को कार्डियोपल्मोनरी रिससिटैशन (CPR) और डिफाइब्रिलेटर से बिजली के झटके दिए जाते हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया सीपीआर एक जीवन रक्षक प्रणाली है इसलिये आम जनमानस को इसे सिखाना बहुत जरूरी है इन्होंने डॉ द्विवेदी के कार्यों की सराहना की और बताया की वे इस काम को अनवरत करते रहे ।इस दौरान से
इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह,क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द वर्मा, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राजकमल, क्षेत्राधिकारी लाइन्स/कार्यालय श्री यामीन अहमद,क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली, प्रतिसार निरीक्षक रामशीष यादव, पीआरओ श्री प्रदीप पाल,सूबेदार श्री राकेश समाधिया एवं अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।

(4).

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 11 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

(i). उ0नि0 श्री योगेन्द्र बहादुर, उ0नि0 श्री श्याम देव सिंह मय हमराह मुख्य आरक्षी रतिभान कुशवाहा थाना पहाड़ी द्वारा मु0अ0स0 30/17 धारा 149,420,467,468471,272,273 भादवि व 60(2),63 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त रोहिणी तिवारी उर्फ दादू पुत्र दरबारी निवासी कलवारा बुजुर्ग थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ii).उ0नि0 श्री राजेश चौरसिया मय हमराह आरक्षी जीतेन्द्र मौर्या,आरक्षी राघवेन्द्र राजपूत थाना बहिलपुरवा द्वारा मु0अ0सं0 45/20 धारा 18/20 एनडीपीसएस एक्ट के वारण्टी अभियुक्त लाला पटेल पुत्र देशराज निवासी गदाखान मजरा चन्द्रमारा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iii).उ0नि0 श्री सुरेन्द्र सिंह मय आरक्षी मातादीन थाना बहिलपुरवा द्वारा वाद संख्या 4156/22 धारा 363 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त छोटे मवासी पुत्र भेला उर्फ लेदरा निवासी ग्राम चुनकावन का डेरा मजरा कर्का पडरिया थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iv).उ0नि0 श्री मुन्नीलाल मय हमराह आरक्षी शुभम त्रिपाठी, आरक्षी प्रकाश मिश्रा थाना मऊ द्वारा मु0नं0 669/16 धारा 323,504,506 भादवि के वारण्टी अभियुक्त रामबली पुत्र रामआसरे निवासी बम्बुरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(v) उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय मय हमराह आरक्षी मनीष यादव, थाना मऊ द्वारा मु0नं0 56/2018 अ0स0 150/17 धारा 323,504,506 भादवि के वारण्टी अभियुक्त रामदास पुत्र बुधई यादव निवासी बम्बुरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(vi) उ0नि0 श्री संतप्रसाद मय हमराह आरक्षी राहुल पाण्डेय, आरक्षी जयनारायण पटैरिया थाना कोतवाली कर्वी द्वारा मु0स0 3251/2015 अ0स0 207/15 धारा 147,447 भादवि के वारण्टी अभियुक्त पिन्टू यादव पुत्र कैलाश यादव निवासी मुलायम नगर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(vii) उ0नि0 श्री अंशुल कुमार मय हमराह आरक्षी संजीव सोनी थाना कोतवाली कर्वी द्वारा मु0न0 601765/09 धारा 380,411 भादवि के वारण्टी अभियुक्त मातादीन उर्फ छोटका पुत्र ताराचन्द्र निवासी लक्ष्मनपुरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(viii) उ0नि0 श्री बलवन्त यादव मय हमराह आरक्षी अखिलेश तोमर थाना भरतकूप द्वारा मु0न0 90/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त अनुरुद्ध प्रजापति पुत्र बद्रीप्रसाद निवासी बरई पहरा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ix) उ0नि0 श्री दिनेश कुमार पाण्डेय मय हमराह शिवम कुमार मिश्रा थाना रैपुरा द्वारा अ0स0 36/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त रमेश कुमार उर्फ मुन्ना प्रजापति पुत्र रामलखन निवासी कुम्हारन का डेरा मजरा घुनुवा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(x) उ0नि0 श्री अखिलेश सिंह यादव मय हमराह आरक्षी पवन यादव थाना रैपुरा द्वारा मु0न0 81/2020 धारा 147,323,504 आईपीसी के वारण्टी अभियुक्त 1.बबुलिया उर्फ अश्वनी पाण्डेय पुत्र दिनेश 2.रमाकान्त उर्फ शिवम पाण्डेय पुत्र सत्यवान पाण्डेय निवासी चर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।